Unit II (इकाई II)

4. Discuss the law relating to relevancy of dying declaration prescribed under Law of Evidence. Also discuss relevant case laws. **16**

साक्ष्य विधि के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन की सुसंगति से सम्बन्धित विधि की चर्चा कीजिए । साथ ही, सुसंगत वाद-विधियों पर भी चर्चा कीजिए ।

5. Discuss in detail the concept of confession, its types. Also discuss the circumstances under which confession will be admissible and not admissible in the eyes of law. **16**

'संस्वीकृति' की अवधारणा और उसके प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए । साथ ही, उन परिस्थितियों पर भी चर्चा कीजिए जिनके अंतर्गत संस्वीकृति विधि की दृष्टि में ग्राह्य होगी और किनके अंतर्गत ग्राह्य नहीं होगी ।

No. of Printed Pages : 06 Roll No.

52191

LL.B. (Hons.) EXAMINATION, 2026

(Fourth Semester)

(Regular & Re-appear)

LAW OF EVIDENCE

Time : 3 *Hours*] [*Maximum Marks :* 80

Before answering the question-paper, candidates must ensure that they have been supplied with correct and complete question-paper. No complaint, in this regard will be entertained after the examination.

Note : Attempt *Five* questions in all, selecting *one* question from each Unit. Q. No. **1** is compulsory. All questions carry equal marks.

प्रत्येक इकाई में से **एक** प्रश्न चुनते हुए, कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्न क्र. **1** अनिवार्य है । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

Compulsory Question (अनिवार्य प्रश्न)

1. Define/Explain the following : **8×2=16**

(a) Dumb Witness

(b) Refreshing Memory

(c) Plea of Alibi

(d) Leading Question

(e) Hostile Witness

(f) Evidence

(g) Lex Loci

(h) Documents.

निम्नलिखित को परिभाषित/व्याख्यित कीजिए :

(अ) मूक साक्षी

(ब) स्मृति ताजा करना

(स) अन्यत्र उपस्थिति का अभिवचन

(द) सूचक प्रश्न

(इ) शत्रुतापूर्ण साक्षी

(फ) साक्ष्य

(ग) लेक्स लोकी

(ह) दस्तावेज ।

Unit I (इकाई I)

2. Define, distinguish and illustrate : May Presume, Shall Presume and Conclusive Proof under Indian Evidence Act. **16**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 'उपधारणा कर सकेगा', 'उपधारणा करेगा' और 'निश्चायक सबूत' को परिभाषित कीजिए, उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए और उदाहरण सहित समझाइये ।

3. "Facts forming part of the same transaction are relevant". Explain with illustration and relevant case laws. **16**

"तथ्य जो एक ही संव्यवहार का भाग हैं, सुसंगत होते हैं ।" सुसंगत वाद-विधियों व उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए ।

Unit III (इकाई III)

6. "Oral evidence must in all circumstances whatever be direct." Comment with exception, if any, under Indian Evidence Act. **16**

"मौखिक साक्ष्य, चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हों, सदैव प्रत्यक्ष ही होना चाहिए ।" भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, यदि कोई अपवाद हो, तो उसका उल्लेख करते हुए टिप्पणी कीजिए ।

7. Write a detailed note on Presumption provided under Indian Evidence Act. **16**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दी गई उपधारणा पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए ।

Unit IV (इकाई IV)

8. Write a detailed note on principles governing Doctrine of Estoppel under Indian Evidence Act. Cite relevant case laws. **16**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विबंध के सिद्धांत को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए । सुसंगत वाद-विधियों का उल्लेख कीजिए ।

9. What do you mean by privileged communications ? Discuss the law relating to professional communication mentioned in Indian Evidence Act. **16**

विशेषाधिकार प्राप्त संसूचनाओं से आप क्या समझते हैं ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित व्यावसायिक संसूचनाओं से सम्बन्धित विधि की चर्चा कीजिए ।

❖❖❖❖❖❖❖